

RAJYA SABHA

Thursday, the 10th May, 1990/the 20th Vaisakha, 1912 (Saka)

The House met at eleven of the Clock,
(Mr. Chairman in the Chair)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Abid Hussain Committee on Textile Policy, 1985

*121. DR. YELAMANCHILI SIVAJI :
Will the Minister of TEXTILES be pleased to state :

(a) what are the salient features of the report of the Abid Hussain Committee on Textile Policy, 1985 ;

(b) what steps have been taken to implement the recommendations contained in the report ; and

(c) whether Government propose to lay the report on the Table of the House?

THE MINISTER OF TEXTILES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI SHARAD YADAV) : (a) A statement is laid on the Table of the House (Annexure-I). (*See below*).

(b) The recommendations made by the Committee are under examination.

(c) The Committee Report, with Hindi translation, would be placed in the Parliament Library.

Statement

The following are the salient features of the Report submitted by the Abid Hussain Committee on Textile Policy, 1985 :-

(1) The 1985 Textile Policy was anchored on the right principles.

189RS—1

(2) The Committee has adopted next 10 years for time perspective.

(3) An APEX Council with permanent representative of non-officials from all the different parts of the country should be appointed for monitoring and implementing the action that result from the recommendations of the Committee. The Council to be appointed for a period of 2 years may later be appointed on a permanent basis.

(4) Cotton growers should receive remunerative prices. The price policy for raw cotton should have competitive advantage. Stability of cotton prices should be achieved. India should be a stable exporter of cotton. An APEX level Cotton Development and Technology Authority should be established.

(5) The import duty on synthetic fibre and yarn should be so designed as to make the landed prices of synthetic fibre roughly equivalent to phased schedule of domestic prices to be determined and pre-announced by the BICP.

(6) A minimum economic size for spinning industry should be evolved.

(7) The system of hank yarn *vis-avis* reservation should be so made that adequate hank yarn to handloom weavers is effectively provided. To check the tendency of diversion of hank yarn to powerlooms, hank yarn supplied by the mills to handloom cooperative societies and other handloom organisations recognised by the Development Commissioner for Handlooms should be exempted from the Excise Duty and Excise Duty charged on hank yarn sold otherwise. The access of the handloom weavers to hank yarn should not diminish. The reservation items for handlooms should be placed in IXth Schedule of the Constitution? For the welfare of the

handloom weavers the Committee has recommended establishment of a general Welfare Fund and a Weavers Rehabilitation Fund.

(8) The Janata Cloth Scheme should be redesigned and targetted more directly at the low earning weavers.

(9) The Committee recommended establishment of Area Based Handloom Promotion Agency in handloom Concentration areas and also an APEX agency called National Handloom Development Authority to bring together all the professional, technical, design, managerial, marketing and financing inputs needed to give a major impetus to the promotion of handlooms in the country.

(10) The lot of powerloom weavers should be improved, further growth and dynamism induced and regularisation of powerloom activity ensured. For the amelioration of powerloom weavers, Health Insurance Funds and Social Security Funds should be established. The powerloom centres already established should, be strengthened, made more effective and their number increased. Powerloom Area Development Corporation, should be established where there are more than 25000 powerloom weavers. The Labour Enforcement and Welfare Agency should be established in each powerloom concentration area as a subsidiary of PADC.

(11) The mill industry should continue to be modernised rapidly. The institutional arrangements should be devised for effectively implementing industrial infrastructuring required. Textile Restructuring Asset Trusts should be formed in identified metropolitan areas with a concentration of around 25000 textile workers or more. These Trusts should be endowed with legal and administrative powers.

(12) The country should take full advantage of its international competitiveness in textiles and step up exports particularly garments. The handloom exports should be given greater attention in terms of design and marketing support.

(13) Levy of excise duty on textiles must be shifted from fabric processing, finishing stage to yarn stage.

(14) The Committee has recommended that the Department of Industrial Development jointly with the Ministry of Textiles should appoint a Technical Group to go into medium and long-term requirements of the textile machinery industry.

DR. NARREDDY THULASI REDDY : Why are the Congress members missing?

SHRI M. A. BABY : The whole side is vacant.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI : Sir, I expected the Minister to take courage into his hands. He should not repeat the bureaucratic version of defending the misdeeds of the earlier Government and their policies.

The Textile Policy of 1985 clearly says in items 8 and 9 that the distinct and unique role of the handloom sector is to be preserved, as well as in item 11, the Policy says that the pre-eminent role of cotton as the main raw material of textile industry would be maintained.

The Gazette Notification dated May 13, 1988, while appointing the Abid Hussain Committee, clearly stated that the Committee would be expected to make an assessment of how far the various measures devised in the Policy for the protection of handloom sector have been effected in achieving their objectives and also whether the pre-eminent role of cotton as the main raw

material of textile industry has been maintained, as stated in the Policy.

Unfortunately, nothing has been mentioned about the handloom weaver as well as the cotton grower. As you are aware, Sir, the handloom weavers and cotton growers in Guntur and Prakasam districts committed suicide for want of remunerative prices and livelihood in these two districts. But this Committee never visited those two districts. How many, sittings did the Committee have and who were the people who were called to give evidence before the Committee among the cotton growers and handloom weavers? I would like to elicit this clarification from the hon. Minister.

श्री शरद यादव : सभापति जी, यह कमेटी जो थी, मिनिस्ट्रियल कमेटी थी और इसके 19 मेम्बर्स थे, जिसमें मिल सेक्टर के लोग थे, काटन ग्रेवर थे, लेबर सेक्टर से लोग थे और हैंडलूम, पावरलूम सभी प्रकार के संबंधित लोगों को इसमें रखा गया था और जो नई टेक्सटाइल पालिसी 6 जून, 1985 को बनी थी, उस पालिसी के नतीजे क्या हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है, इसकी जानकारी के लिए कमेटी बनी थी। माननीय सदस्य ने जो आन्ध्र प्रदेश के दो जिलों का जिक्र किया, तो इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 6 महीने में देनी थी, उसको उसने एक साल दो महीने में दिया। इस कमेटी की रिपोर्ट में बड़ी दिक्कत पड़ी क्योंकि इसमें जिस तरह के लोग रख दिए गए थे, उसमें आसान नहीं था कि एक समन्वित नीति को चलाने का काम किया जाए। लेकिन जो माननीय सदस्य ने कहा, इस कमेटी ने कुछ बातें पोजिटिवली कही हैं उनको हमारा मंत्रालय मानता भी है लेकिन जिन सवालों का वह जिक्र कर रहे हैं, इस कमेटी की रिकमेंडेशन व सिफारिश से उसका कोई रिश्ता नहीं है। सरकार, उनकी जो समस्याएँ हैं, उनके प्रति सचेत है और इस बार सी०सी०आई० ने जो खरीद की है, वह रिकार्ड खरीद की है और जो काटन ग्रेवर फार्मर्स हैं, उनके जो इन्टरैस्ट हैं, उनको प्रोटेक्ट करने में यह जो पालिसी बनी है, उसमें

कोई दिक्कत नहीं आती है। असली सवाल नीयत का है। यदि हमारी नीयत ठीक है तो यह जो पालिसी 6 जून, 1985 वाली, इसी पालिसी के तहत हैंडलूम वीवर्स हों, चाहे काटन ग्रेवर्स हों, इन सबको प्रोटेक्ट किया जाता और यही काम हमने चार या पांच महीने में करके दिखाया। ... (व्यवधान) ...

श्री लक्ष्मण पति : मतलब यह कि अब कोई दिक्कत नहीं है।

श्री शरद यादव : कोई दिक्कत नहीं है और इसकी सिफारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो कानून वर्तमान में है, उसके अंतर्गत ही हम इन सारी समस्याओं का निपटारा कर सकते हैं।

DR. YELAMANCHILI SIVA
JI : Sir, the specific question is with regard to the Abid Hussain Committee Report on the Textile policy of 1985. I feel this policy is responsible for the failure to protect the interests of the cotton growers as well as the handloom Weavers and that is why they were going down and committing suicide. This policy is not only against the two categories of cotton growers and handloom weavers but it is also meant for the advantage of big industries like Reliance and all those who produce artificial fibre and who import it at the cost of the cotton growers and handloom Weavers. The honourable Minister has mentioned several other things as far as protection for the cotton growers and handloom weavers is concerned. I feel that this Textile Policy envisaged by the earlier Government has done precious little to safeguard the interests of these two Categories and I feel that this policy should be scrapped lock, stock and barrel and a new policy should be evolved. It is the quixotic and Slipshod attitude in which this Committee has prepared this report, even without calling the concerned people for giving evidence, nor did this Committee go round the affected areas

MR. CHAIRMAN : What is your question?

DR. YELAMANCHILI SIVAJI :

My question is, is there any proposal under the consideration of the Government to scrap the existing Textile Policy, envisaged during 1985, lock, stock and barrel and to evolve a new textile policy which is more realistic and in tune with the demands and needs of the cotton growers and handloom weavers?

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने आबिद हुसैन कमेटी की रिपोर्ट के बावत सवाल किया था तो आबिद हुसैन कमेटी की रिपोर्ट बहुत लम्बी-चौड़ी है। मैंने निवेदन किया कि यह रिपोर्ट जो है, वह पालियामेंट की लाइब्रेरी में बहुत जल्दी रख दी जाएगी और इस कमेटी की जो मोटी-मोटी बातें हैं उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि कई अथारटीज क्रिएट करने की बात कही गई है यानी हैंडलूम सैक्टर में, पावरलूम सैक्टर में, मिल सैक्टर में और काटन थोवर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में कई तरह की अथारटीज को क्रिएट करने का सुझाव दिया है। इसने ड्यूटीज़ को थार्न स्टेज में लाने का सबसे बड़ा सुझाव दिया और कुछ हैंडलूम के जो आइटेम्स हैं उनको 9वें शैड्यूल में डालने का सुझाव था, ये बातें थीं। जो बातें वह कह रहे हैं, वह विचाराधीन हैं और उन पर हमारे मंत्रालय में गहन अध्ययन चल रहा है। अगर इस कमेटी में किन्हीं के हितों की रक्षा की गई होगी तो वह भी देखा जाएगा और नहीं की गई होगी तो उनको भी देखा जाएगा, लेकिन मैं इतना इनको विश्वास दिलाता हूँ कि वह जिन बातों के लिए चिंतित हैं, उनको सरकार पूरी तरह से ध्यान में रखकर सारे मैजर्स को और सारी चीजों को बनाने का और चलाने का काम करेगी।

श्री प्रमोद महाजन : सभापति जी, आबिद हुसैन समिति की सबसे आश्चर्यजनक विशेषता यह है कि उन्होंने यह स्पष्ट रूप में कहा है कि 1985 की वस्त्र नीति सही सिद्धांतों पर आधारित है जब कि अनुबंध यह है कि वस्त्र नीति आने से पहले बीमार कपड़ा मिलों की संख्या 70 थी, आज 150 हो गई है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम का घाटा 750 करोड़ था, वह 1500 करोड़

हो गया। किसानों को कपास का दाम नहीं मिल रहा है, हथकरघा, विद्युत करघा बनकर निराश हैं और मिल-मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि जो इसकी पहली विशेषता कही गई है मंत्री जी के उत्तर में, कि यह सही सिद्धांतों पर आधारित थी लेकिन अनुभव इसके विपरीत है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह सही सिद्धांतों पर आधारित नहीं थी। तो क्या हमारी सरकार इस पहली विशेषता को स्वीकार करती है कि यह सही सिद्धांतों पर आधारित है ?

श्री सभापति : आप इस पर पुनः विचार करेंगे ?

श्री प्रमोद महाजन : यदि स्वीकार नहीं करती है तो नई वस्त्र नीति, जिस में इन सारे प्रश्नों का उत्तर होगा, क्या उसके निर्माण पर सरकार विचार करेगी ?

श्री शरद यादव : आदरणीय, सभापति जी, मेरे माननीय मित्र महाजन जी ने बहुत से सवाल छेड़ दिये हैं। मैंने जो पहला निवेदन आपसे किया कि जो आबिद हुसैन कमेटी की रिपोर्ट है, उस पर विचार किया जा रहा है, उस पर अध्ययन चल रहा है और उस कमेटी की यह राय है कि जो 1985 की नई टेक्सटाइल पालिसी थी, वह बहुत सही थी, करेक्ट थी। यह उस समिति की राय है, सरकार की राय नहीं है।

श्री सभापति : आपकी राय है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति जी, सरकार की राय क्या है ?

श्री शरद यादव : सरकार की राय अभी बन नहीं पाई है।

श्री सभापति : विचाराधीन है।

श्री शरद यादव : लेकिन जो लोगों की भावनाएँ हैं, सरकार उन भावनाओं को दुस्त जगह रखने की, धरती पर उतारने की मजबूत इच्छा रखती है। यदि जरूरत पड़ेगी तो वह काम भी हम करेंगे, जो उस समिति ने शुरू किया कि उस पालिसी के चलते जो

नुकसान है, वह पता चल जाय। हो सकता है कि नुकसान न हुआ हो और और बताया गया हो। बहुत सी बातें जो मेरे मित्र ने कही हैं, मैं बता सकता हूँ कि वह सब दुरुस्त नहीं हैं लेकिन उन्होंने जो कहा कि ... (अवधान)

श्री प्रमोद महाजन : मेरी हर बात दुरुस्त है।

श्री सभापति : समझा देंजिये।

श्री शरद यादव : मैं मानता हूँ कि आपकी बात सही हो सकती है।

श्री सभापति : उन्होंने आपकी राय को गलत नहीं कहा है। वह इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री शरद यादव : मैंने आपसे निवेदन किया है आपने जिन बातों का इशारा किया है, उन बातों पर हमारी सरकार विचार कर रही है और जो आबिद हुसैन कमेटी का विचार है, वह हमारे विचार नहीं है, वह मंत्रालय के विचार हैं।

श्री वशन्त लिंगा : सभापति जी, अभी जो हमारे साथी प्रमोद महाजन ने सवाल किया, मंत्री महोदय को याद होगा कि जब वह नई कपड़ा नीति आई थी पुरानी सरकार की, तब हमसब लोगों ने जो आज सदन के इस तरफ बैठे हैं, उसका घोर विरोध किया था, और एक संकल्प लिया गया कि इस सरकार में आते ही उस पालिसी को हम लोग बदल देंगे। मैं अंकड़ों में नहीं जाना चाहता। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि नई टैक्सटाइल पालिसी के आने के बाद से क्या उनके मंत्रालय ने इस बात का विश्लेषण किया है कि जो हथकरघा का क्षेत्र है, उसमें नई टैक्सटाइल पालिसी के चलते कितने मजदूर आज तक बेकार हो गये हैं? इस नई टैक्सटाइल पालिसी के सारे टैक्सटाइल क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़े है? उन प्रभावों को देखते हुये क्या मंत्री महोदय स्पष्ट रूप से यह कहने की स्थिति में हैं कि वह इस टैक्सटाइल पालिसी को पूरी तरह से बदल देंगे, और एक नई टैक्सटाइल पालिसी जो मजदूरों, फाटन थ्रोअर्स और करघा क्षेत्र के हक में हो, इस तरह की पालिसी लायेंगे?

श्री शरद यादव : सभापति जी, आज का सवाल जो था, वह आबिद हुसैन कमेटी की बाबत था। मन्तनीय सदस्य ने इस सौके पर जो कहा, वह ठीक कहा कि जो नई टैक्सटाइल पालिसी थी, उसके चलते हैडलूम बीवर्स फाटन थ्रोअर्स, जो सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं, उनको उस पालिसी के चलते नुकसान उठाना पड़ा। कितना नुकसान उठाना पड़ा मैं इस समय कहने की स्थिति में नहीं हूँ लेकिन जब से नई सरकार बन है, इस बात के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया है तथा इस बार फाटन थ्रोअर्स के मामले में हमने जो कीर्तते हैं, उनको धिनिमम प्राइस से बहुत ऊंचे स्तर पर रखा है।

श्री शरद यादव : जो न्यू टैक्सटाइल पालिसी है हमको कहीं रोक नहीं पायी है तो मैं कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि इस स्टेज पर इस सवाल में यानी बड़ा सवाल उन्होंने छोड़ा है।

श्री सभापति : हैडलूम बीवर्स का है उनका।

श्री शरद यादव : हैडलूम बीवर्स से लेकर के, फाटन थ्रोअर्स से लेकर के...

श्री प्रमोद महाजन : सभापति जी आपका प्रोटेक्शन चाहिये। आबिद हुसैन समिति यह वस्त्र नीति पर ही विचार करने के लिये थी। इसलिये वस्त्र नीति के प्रश्न तो इसमें आयेंगे, क्योंकि समिति का जन्म ही वस्त्र नीति का विश्लेषण करने के लिये था तथा उस पर सब ल नहीं पूछे जायेंगे तो वस्त्र नीति हमें अतनी पड़ेगी आपको।

श्री शरद यादव : सभापति जी, इस रिपोर्ट का मकसद ही वही है जो पूछा जा रहा है मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं यह कहना है और निवेदन करना है, अध्यक्ष जी, जो सवाल उन्होंने किये हैं उन सारे सवालों पर विचार किया जा रहा है और जो नुकसान और नफे का उन्होंने बात कही है, यदि मान लें हैडलूम बीवर्स, फाटन थ्रोअर्स जो सब ज्यादा बड़ी आबादी सबसे बड़ी तादाद है इस पालिसी के चलते उनके नुकसान और उनको कितना इससे हाम

हुआ है इस पर गंभीरता से विचार चल रहा है और यदि मान लो कोई ऐसी चीज होगी तो सरकार किसी कदम को उठाने में हिचकेंगी नहीं। मैं इतना ही उनसे कहना चाहता हूँ।

श्री सभापति : वैरो गूड़ ।

SHRI S. MADHAVAN : So far as the recommendations on hank yarn are concerned, there cannot be any reconsideration about making available hank yarn for the handloom industry. Will the Government straightforwardly tell all the NTC mills to produce hank yarn to feed the handloom industry?

The other question is about the modernisation of sick textile industries. The Finance institution are refusing to assist the textile industry for modernising their machinery. There are a lot of sick mills coming up. Will the Government consider financing the sick units for modernising their machinery?

श्री शरद यादव : सभापति जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि जो हैं आब्लीगेशन है, मैं मानता हूँ एन. टी. सी. उसको पूरा करने में अपनी वचनबद्धता को नहीं निभा रही है। अभी पिछले महीने की 15 तारीख में हम लोगों ने बैठक की थी। पूरे देश भर के जो स्पीनिंग मिल्स के मिल ग्रॉनर्स थे उसको भी हमने बुलाया था। उसमें हमने हैक यार्न के पांच परसेंट दाम भी कम करने का काम किया और यह मजबूती से कहा कि हैक यार्न के बारे में जो आब्लीगेशन है वह चाहे प्राइवेट ग्रॉनर्स की मिल हों चाहे एन. टी. सी. हों, उन्हें इस आब्लीगेशन को पक्की तरह से पूरा करना पड़ेगा।

माडनाइजेशन का जो उन्होंने सवाल किया, सरकार इसमें सब तरह से लगी हुई है और आज दुनिया की जो रफ्तार है उसके साथ भी हमको चलना है। उस रफ्तार को बनाये रखने के लिये भी आज आधुनिकीकरण बहुत जरूरी चीज है और

हमारी सरकार इस पर गंभीरता से काम कर रही है और माडनाइजेशन का जो पैकेज है उसको हम लोग आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं।

*122 [The questioner (Shri Chaturanan Mishra) was absent. For answer, vide Col... 36... infra]

*123 [The questioner (Shri Surender Singh) was absent. For answer vide Col..... 37.. infra]

*124 [The questioners (Chowdhary Hari Singh and Shri Krishna Kumar Birla) were absent. For answer vide Col..... 38...infra]

भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण

*125. श्री शंकर बहाल सिंह : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों में विकास तथा आधुनिकीकरण सम्बन्धी कोई कार्यक्रम हाथ में लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में व्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम के फलस्वरूप इन दोनों संयंत्रों में इस्पात उत्पादन में हुए सुधार का भी व्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रों साथ में विधि और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री विनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) एक विवरण-पत्र सदन पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) दुर्गापुर इस्पातकारखाने के आधुनिकीकरण की परियोजना सितम्बर, 1987 में स्विकृत का गयी थी, वह इस समय कार्यान्वयनाधीन है। 685 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा को शामिल करते हुए 2667.6 करोड़ रुपये